हिमाचल प्रदेश शरीर–रचना विज्ञान अधिनियम,1966

धाराओं का क्रम

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार।
2. परिभाषाएं।
3. प्राधिकृत अधिकारी को निकट नातेदार के बारे में संदेह या विवाद निर्दिष्ट किया जाना।
4. प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति।
5. लावारिस शवों का चिकित्सीय प्रयोजनों, शारीरिक परीक्षणों आदि के लिए उपयोग किया जाना।
6. शास्ति।
7. लावारिस शवों का कब्जा प्राप्त करने में पुलिस और अन्य अधिकारियों की सहायता करने का कर्तव्य।
8. अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों का संरक्षण।
9. अधिकारियों का लोक सेवक होना।
10. नियम।

———————————————————————————————————

हिमाचल प्रदेश शरीर–रचना विज्ञान अधिनियम,1966

(1966 का अधिनियम संख्यांक 4)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 02 सितम्बर, 1986 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 12 दिसम्बर, 1986 को पृष्ठ संख्या 2245 से 2247 पर प्रकाशित किया गया।)

(शरीर या उसके किसी अंग तथा)[2] मृतकों के लावारिस शवों का चिकित्सीय प्रयोजनों या शारीरिक परीक्षण,विच्छेदन, शल्य क्रिया और अनुसंधान कार्य के प्रयोजन के लिए, अस्पतालों और आयुर्विज्ञान और शिक्षण संस्थाओं को (दान तथा)[2] प्रदाय का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

संशोधित, निरसित या अन्यथा द्वारा प्रभावितः–

(i) 2011[3] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 22 को महामहिम राज्यपाल द्वारा 31 जनवरी, 2011 को अनुमति प्रदान की गई जिसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 05 फरवरी, 2011 को पृष्ठ संखया 8788–8791 पर प्रकाशित किया गया।

———————————

1. चूँकि अधिनियम राजभाषा में 02 सितम्बर, 1986 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 12 दिसम्बर, 1986 को पृष्ठ संख्या 2245 से 2247 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाणन के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 20 दिसम्बर, 2010 पृष्ठ संख्या 7498 और 7502 देखें।

3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 20 दिसम्बर, 2010 पृष्ठ संख्या 7498 और 7502 देखें।

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विज्ञान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार.**–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश शरीर–रचना विज्ञान अधिनियम,1966 है।

(2) इसका विस्तार 1 नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में शामिल सभी क्षेत्रों में है।

परिभाषाएं.–इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) ''अनुमोदित संस्था'' से राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए अनुमोदित अस्पताल या आयुर्विज्ञान का शिक्षण संस्था अभिप्रेत है;

(2) ''प्राधिकृत अधिकारी'' ये धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(3) ''निकट नातेदार'' से मृतक का निम्नलिखित में से कोई नातेदार अभिप्रेत है, अर्थात् पत्नी, पति, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई और बहन, और इसके अन्तर्गत कोई अन्य व्यक्ति है, जो–

(क) पारम्परिक नातेदारी में तीन पीड़ियों के भीतर पारंपरिक या सांपाश्विक सगोत्रता द्वारा और छः पीढ़ियों में सांपाश्विक नातेदारी द्वारा, मृतक से सम्बन्धित है; या

(ख) मृतक इस खण्ड में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित किसी नातेदार से या उपर्युक्त पीड़ियों के भीतर किसी अन्य नातेदार से, विवाह द्वारा सम्बन्धित है;

स्पष्टीकरण.–''पारंपरिक'' और ''सांपार्विश्वक सगोत्रता पदों के वही अर्थ होंगे जो भारतीय उतराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 25 और 26 में क्रमशः उनके है;

(4) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(5) x x x x x ;

(6) ''लावारिस शव'' से ऐसे मृतक का शव अभिप्रेत है जिसका कोई निकट नातेदार नहीं है या जिसके शव का दावा उसके किसी भी निकट नातेदार द्वारा ऐसी अवधि के भीतर नही किया गया है जो विहित की जाए।

[1]{(7)"शरीर का दान" से शरीर–रचना परीक्षण और अनुसन्धान के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति द्वारा अपने सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी अंग का दान अभिप्रेत है"}

————————————

1. 2011 का अधिनियम संख्यांक 22 द्वारा उप–धारा (7) अंतःस्थापित की गई।

3. **प्राधिकृत अधिकारी को निकट नातेदार के बारे में संदेह या विवाद निर्दिष्ट किया जाना.**–यदि कोई संदेह या विवाद उठता है कि कोई व्यक्ति मृतक का निकट नातेदार है या नही, तो मामला प्राधिकृत अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय ऐसे निदेश पर अंतिम और निष्चायक होगा।

4. **प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति.**–राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

5. **लावारिस शवों का चिकित्सीय प्रयोजनों, शारीरिक परीक्षणों आदि के लिए उपयोग किया जाना.**–(1) जहां राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित या उसमें निहित या उसके द्वारा अनुरक्षित अस्पताल में उपचाराधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसे अस्पताल में हो जाती है और उसका शव लावारिस है, वहां ऐसे अस्पताल के प्रभारी प्राधिकारी, यथा व्यवहार्य न्यूनतम विलम्ब में इस तथ्य की रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को करेंगे और तब ऐसा अधिकारी उस लावारिस शव को, किसी चिकित्सीय प्रयोजन या शारीरिक परीक्षण, विच्छेदन, शल्य क्रिया या अनुसंधान कार्य के प्रयोजन के लिए, अनुमोदित संस्था के प्रभारी प्राधिकारियों को सौंपेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अस्पताल से भिन्न अस्पताल में या कारागार में हो जाती है और उसका शव लावारिस रहता है, वहां ऐसे अस्पताल या कारागार के प्रभारी प्राधिकारी, यथा व्यवहार्य न्यूनतम विलम्ब में इस तथ्य की रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को करेगें और ऐसा अधिकारी लावारिस शव को उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्था के प्रभारी प्राधिकारियों को सौंपेगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति का ऐसे क्षेत्र में स्थाई निवास नही है जहां उसकी मृत्यु हुई है उस क्षेत्र के किसी सार्वजनिक स्थान में मरता है उसका शव लावारिस है, तो उस क्षेत्र का प्राधिकृत अधिकारी शव को अपने कब्जे में ले लेगा और अनुमोदित संस्था के प्रभारी प्राधिकारियों को उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए सौंप देगा।

[1]{5क. (1)शरीर–रचना परीक्षण आदि के लिए मृतक व्यक्तियों के शरीर या उसके किसी अंग का दान–(1) यदि किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व, किसी भी समय लिखित रूप में दो या दो से अधिक साक्षियों की उपस्थिति में यह आशय व्यक्त किया है कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को, शरीर–रचना परीक्षण और विच्छेदन करने या अन्य समरूप प्रयोजन के लिए किसी अनुमोदित संस्थान को उपयोग के लिए दे दिया जाए, तो उसका कोई निकट नातेदार, जब तक कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि

———————————

1. 2011 का अधिनियम संख्यांक 22 द्वारा उप–धारा (5 क) अंतःस्थापित की गई।

उक्त आशय तत्पश्चात् प्रतिसंहृत कर दिया गया था, मृतक शरीर या उसके किसी अंग को आशय अनुसार उपयोग करने के लिए किसी अनुमोदित संस्थान को हटाने (ले जाने)/निकालने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) मृतक व्यक्ति का विधिक वारिस भी शरीर या उसके किसी अंग को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए दान कर सकेगा।

(3) उपधाराओं (3) और (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, इस धारा के अनुसरण में दिए गए प्राधिकार के अनुसार, सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी अंग को निकालना और उसका उपयोग करना विधि पूर्ण होगा, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शरीर या उसके किसी अंग को निकाले जाने और इसके उपयोग के लिए समुचित आधार होगा।

(4) किसी भी मृतक व्यक्ति के शरीर या उसके किसी भी अंग को, किसी स्थान से जहां पर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई हो,––

(i) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय से अड़तालीस घण्टे के भीतर; या

(ii) जब तक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, शरीर को हटाने (ले जाने) के आशय का चौबीस घण्टे का नोटिस (जिसकी गणना ऐसी मृत्यु के समय से की जाएगी) न दे दिया गया हो; या

(iii) जब तक कि, शरीर को हटाने (ले जाने) से पूर्व उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसने ऐसे व्यक्ति की उस बीमारी के दौरान, परिचर्या की हो, जिससे उसकी मृत्यु हुई हो, द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र, जिसमें ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है, का विवरण हो, या, यदि ऐसे किसी व्यवसायी ने ऐसी बीमारी के दौरान ऐसे व्यक्ति की परिचर्या न की हो, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, जिसको ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके शरीर के निरीक्षण के लिए बुलाया जाएगा और जिसने मृत्यु कैसे हुई उसका और उसके कारण का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से विवरण दिया हो, अभिप्राप्त न कर लिया हो और ऐसे प्रमाण पत्र को शव के साथ उपर्युक्त किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए उसे प्राप्त करने वाले परिदत्त अनुमोदित संस्थान के प्रभारी प्राधिकारी को, परिदत्त किया जाएगा;

उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए हटाया (ले जाया)/निकाला नहीं जाएगा।

(5) यदि किसी निकट रिश्तेदार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे शव का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार मृत्यु समीक्षा या शव परीक्षण किया जाना अपेक्षित है तो ऐसी विधि के अधीन मृत्यु समीक्षा करने या शव रचना परीक्षण करने का आदेश देने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी की सहमति के सिवाय, इस धारा के अधीन शव को हटाने (ले जाने) या उसके किसी अंग को निकालने के लिए प्राधिकार नहीं दिया जाएगा।}

6. **शास्ति.**—जो कोई भी, इस अधिनियम द्वारा यथा अनुज्ञात से अन्यथा, इस अधिनियम के उपबन्धों को विफल करने के आशय से, लावारिस शव का व्ययन करता है या व्ययन का दुष्प्रेरण करता है या अनुमोदित संस्था के किसी प्रभारी प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ऐसे शव को सौंपने, कब्जे में लेने, हटाने का उपयोग करने में बाधा डालता है, वह दोषसिद्वि पर जुर्माना से, जो दो सौ रूपए तक का हो सकेगा,दण्डनीय होगा।

7. **लावारिस शवों का कब्जा प्राप्त करने में पुलिस और अन्य अधिकारियों की सहायता करने का कर्तव्य.**—पुलिस और लोक स्वास्थ्य विभागों के सभी अधिकारी और स्थानीय प्राधिकरण के नियोजन में सभी अधिकारी और सभी ग्राम अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी प्राधिकारी को लावारिस शव का कब्जा प्राप्त करने में सहायता के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करने के लिए, आबद्व होगें।

8. अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों का संरक्षण.—इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्व कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

9. अधिकारियों का लोक सेवक होना.—इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति सभी अधिकारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

10. नियम.—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम ऐसी अवधि विहित कर सकेंगे जिसके भीतर निकट नातेदार मृतक के शव का दावा करेगा।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र में जिसमें कि वह इस प्रकार रखा गया हो, या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाऐगा। किन्तु नियम के ऐसे उपान्तरण या बातिलिकरण से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।